व्यापार पेज 2
1.11.13

ई-कामर्स में एफडीआई : क्या तैयार है भारत ?

इस समय रिटेल ट्रेडिंग में नहीं बल्कि बिजनेस टू बिजनेस (बी २ बी) ई-कामर्स में १०० प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है। डिपार्टमेंट आफ इंडस्ट्रियल पालिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) ने 'ड्राफ्ट नोट' तैयार किया है।

देश में कार्यान्वित किए जा रहे अन्य विकल्पों में से एक विकल्प यह है कि ई-कामर्स कंपनियां इबे, एमेजान जैसे इलेक्ट्रानिक मार्केटप्लेस के रूप में आपरेट कर सकती हैं। आर्डर ऐसे स्वतंत्र डीलरों के मार्फत दिए जाते हैं जो ग्राहकों को सीधे प्रोडक्ट बेचते हैं। इस प्रारूप के साथ कंपनियां क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच सिर्फ एक मंच या मीटिंग स्थल होती हैं। यह ऐसी सेवा है, जहां रिटेल के लिए एफडीआई नियमन लागू नहीं होता है।

वैश्विक आनलाइन रिटेलर एमेजान काम ने एफडीआई पालिसी में राहत की मांग की है। यह पालिसी ऐसी कंपनियों पर सीधे रिटेल ग्राहकों को सेवा आफर करने पर रोक लगाती है।

एमेजान के अतिरिक्त इबे की भी काम्प्लेक्स मार्केट प्लेस फार्मेट के मार्फत भारत में उपस्थिति है। जबकि विदेशी कंपनियां सीधे आनलाइन रिटेलिंग आफर नहीं कर सकतां, फिर भी मार्केटप्लेस प्रारूप में कोई एफडीआई प्रतिबंध नहीं है। यह उत्पादों की खरीद-बिक्री करने के लिए तीसरी पार्टी और ग्राहकों को मंच आफर करता है।

यूएस सरकार चाहती है कि भारत ई-रिटेल में एफडीआई की अनुमति दे ताकि एमेजान और इबे जैसी कंपनियां यहां कामकाज शुरू कर सकें।

एफडीआई के लिए ई-कामर्स को खोलना घरेलू खिलाड़ियों के हित में नहीं होगा क्योंकि प्रत्यक्ष रोजगार पर इसका किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारतीय बाजार एमेजान, वालमार्ट एवं इबे जैसे बड़े खिलाड़ियों को ग्रहण करने के लिए अभी तैयार नहीं है और इसके लिए कुछ और समय की जरूरत है। कोई भी विदेशी ई-कामर्स साइटों से किसी भी समय कुछ भी खरीद सकता है क्योंकि वैसे किसी खरीदी पर कोई रोक नहीं है।

प्रवीण खंडेलवाल
राष्ट्रीय महासचिव
कांफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स

यूएस सरकार विदेशी निवेशकों के लिए ई-कामर्स क्षेत्र को खोलने के लिए भारत सरकार पर दबाव डाल रही है। एमेजान और इबे जैसी यूएस कंपनियां दोनों यूएस और भारत में लाबिंग कर रही हैं और पूर्व में वे इस मुद्दे पर कई बार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा से मिल चुकी हैं।

ई-रिटेल में एफडीआई से न सिर्फ रिटेल में एफडीआई के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन होगा बल्कि व्यापार एवं वाणिज्य भी प्रभावित होगा।

इससे कराधान प्रणाली भी प्रभावित होगी क्योंकि एक राज्य में कर विभाग से रजिस्टर्ड ई-रिटेलर को देशभर में व्यापार करने का अधिकार होगा तथा वे संबंधित राज्य का स्थानीय कर अदाकर अन्य राज्य में माल की डिलीवरी करने के लिए मुक्त होंगे जबकि व्यापारी या एमएसएमई को ऐसा करने के लिए हर राज्य में अलग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की जरूरत होगी।

कांफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) की स्थिति

ई-कामर्स एवं ई-बिजनेस के लिए एफडीआई को खुला करने का प्रयास भारतीय रिटेल व्यापार के हित में नहीं है, जो जीडीपी में १५% योगदान देता है।

वाशिंगटन में १४ अक्टूबर, २०१३ को केन्द्रीय वित्तमंत्री ने भी स्वीकार किया है कि भारत का रिटेल बाजार करोड़ों एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले स्टोर्स द्वारा चालित है। भारत रिटेल चेन से भारत का रिटेल बाजार मजबूत हुआ है।

वाणिज्य मंत्रालय को ई-बिजनेस में एफडीआई पर प्रतिबंध के अपने पूर्व रुख पर कायम रहना चाहिए।

मौजूदा भारतीय बाजार वैश्विक रिटेल जायंट से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है।

इस समय भारत में विशेषरूप से महानगरों में धीरे-धीरे बदलाव दिखायी दे रहा है जहां कुछ युवा इंटरनेट आधारित शापिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

पालिसी में परिवर्तन होने पर टेक्नोलाजी (प्लेटफार्म) प्रदाता डायरेक्ट रिटेलर के रूप में भारतीय बाजार में प्रवेश करेंगे। बड़े रिटेलर विदेश की कुछ टेक्नोलाजी कंपनियों की सेवाएं लेंगे और मजबूत डिलीवरी तंत्र के साथ अपने ई-शाप डेवलप करेंगे।

यूएस की हाल की घटनाएं इसका स्पष्ट प्रमाण हैं जहां दो बड़े रिटेल खिलाड़ी वालमार्ट और एमेजान विश्वबाजार और रिटेल क्षेत्र को नियंत्रित करने की अपनी व्यूहनीति के साथ सुसज्ज हो रहे हैं।

ई-बिजनेस में एफडीआई की अनुमति देने का त्वरित प्रभाव मौजूदा छोटे इनोवेटिव दुकानदारों पर पड़ेगा, जो अपने उत्पादों को बेचने के लिए इबे, रीडिफ जैसे मंचों का उपयोग कर रहे हैं।

बड़े वैश्विक खिलाड़ियों के पास उत्पादकों, बैंकों, नीति निर्माताओं के साथ चर्चा कर कमोडिटी की कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता होगी जिससे इनोवेटिव दुकानदार/व्यापारी प्रभावित होंगे जिन्होंने अभी ई-कामर्स और इंटरनेट शापिंग मंच का उपयोग करना शुरू किया है।

यदि बड़े वैश्विक खिलाड़ियों को मौका मिलेगा तो वे वर्तमान बाजार स्थिति को बड़े वेयरहाउस एवं हाइ पर बाजार में परिवर्तित कर देंगे जहां किसी छोटे खिलाड़ी से कोई स्पर्धा नहीं होगी।

आधुनिकीकरण, सरलीकृत कराधान और संस्थागत समर्थन से स्थानीय एवं मौजूदा व्यापार मजबूत हो, उसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

भारत सरकार को ग्रोथ पर फोकस और अपनी प्राथमिकता तय करने की जरूरत है। हमें इंक्ल्यूसिव ग्रोथ के लिए प्रयास करना चाहिए जहां भारतीयता और देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत कर मौजूदा व्यापार प्रणाली का पुनरुत्थान करने की जरूरत है।

व्यापार पेज 1

1. 11. 13